



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 192

दर्ज तिथि:-04.09.2024

1. सुवटी पत्नी चेनाराम
जाति विश्नोई, निवासी कावों की बेरी,रोहिला, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र विरधाराम
2. किशनाराम पुत्र विरधाराम
3. जेकनराम पुत्र विरधाराम
4. हेमाराम पुत्र विरधाराम
5. मांगीलाल पुत्र निम्बाराम
6. केली पत्नी निम्बाराम
7. झांवताराम पुत्र फगलुराम
8. किशनाराम पुत्र फगलूराम
9. श्रीराम पुत्र फगलूराम
10. बुधाराम पुत्र फगलूराम
11. मीरा पत्नी फगलूराम
12. रामजीवण पुत्र मानाराम
13. सोहनलाल पुत्र मानाराम
14. खवणी पत्नी मानाराम
15. किशनाराम पुत्र हीराराम
16. पुरखाराम पुत्र हीराराम
17. तेजाराम पुत्र भागीरथराम
18. मानाराम पुत्र भागीरथराम
19. राजूराम पुत्र भागीरथराम
20. शान्ति पत्नी भागीरथराम
21. शंकराराम पुत्र भाखराराम
22. अणदी पत्नी भाखराराम,
23. तुलछाराम पुत्र रिडमलराम
24. हरिराम पुत्र रिडमलराम
25. शोभाराम पुत्र रिडमलराम
26. धनी पत्नी रिडमलराम

जाति विश्नोई निवासी कावों की बेरी,रोहिला, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना



27. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमना
 28. प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
 29. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपरिथत अधिवक्ता

वादी:- श्री हापूराम

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955


-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-03.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 71/13.2737 है0, 71/2/4.4515 है0 किस्म बा.दोयम वाके ग्राम कावों की बेरी, पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 28 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 08.04.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रैजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू अ/2024/1161 दिनांक 08.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रैजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट




 सहायक कलक्टर
 SDO धोरीमन्ना

पर अभिभाषक वादी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2024/1161 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 29.04.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना द्वारा नोटिस क्रमांक 1298 से 1324 दिनांक 17.04.2024 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 29.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 71/13.2737 है0, 71/2/4.4515 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी, पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।


तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।



अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि


दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 71/13.2737 है0, 71/2/4.4515 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी, पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

खातेदार	हिरसा	खसरा	रकबा	किरम	लगान	वरंग
सुवटी पत्नी चैनाराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार कावों की बेरी	आंशिक	71	8.7291	बा.दो.	3.22	हरा
अणदी पत्नी भाखराराम	1/40	71	4.2776	बा.दो.	1.58	लाल
आसुराम पुत्र विरधाराम	1/20	71/2	4.4515	बा.दो.	1.65	
केली पत्नी निम्बाराम	1/32	2	8.7291	बा.दो.	3.23	
किशना पुत्र फगलूराम	1/24					
किशना पुत्र हीरा	1/16					
किशनाराम पुत्र विरधाराम	1/20					
खिवणी पत्नी माना	1/72					
जेकनराम पुत्र विरधाराम	1/20					
झांवता पुत्र फगलूराम	1/24					
तेजा पुत्र भागीरथराम	1/64					
तुलछाराम पुत्र रिड़मलराम	1/16					
पुरखा पुत्र हीरा	1/16					
बुधाराम पुत्र फगलूराम	1/24					
मांगीलाल पुत्र निम्बाराम	1/32					
माना पुत्र भागीरथ	1/64					
मीरा पत्नी फगलूराम	1/24					
राजू पुत्र भागीरथ	1/64					
रामजीवण पुत्र माना	1/72					
शंकराराम पुत्र भाखराराम	1/40					
श्रीराम पुत्र फगलूराम	1/24					
शान्ती पत्नी भागीरथराम	1/64					
शोभाराम पुत्र रिड़मलराम	1/16					
सोहनलाल पुत्र मानाराम	1/72					
हेमाराम पुत्र विरधाराम	1/20					
हरिराम पुत्र रिड़मलराम	1/16					
धनी पत्नी रिड़मलराम	1/16					
जाति विश्नोई सा.देहखातेदार,कावों की बेरी						
राजस्थान सरकार रास्ते हेतु		71	0.2670	गै.मु. रा.	-	काला



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।


सहायक कलेक्टर
SDO धांरीमना

सुवटी बनाम आसुराम
2024 / 192
निर्णय दिनांक:-03.06.2025

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



03/06/2025
साहित्यिक कलक्टर
(आर.ए.एस.)
SDC धोरीमन्ना
धोरीमन्ना-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठारीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 192

दर्ज तिथि:-04.09.2024

1. सुवटी पत्नी चेनाराम
जाति विश्नोई, निवासी कावों की बेरी,रोहिला, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र विरधाराम
2. किशनाराम पुत्र विरधाराम
3. जेकनराम पुत्र विरधाराम
4. हेमाराम पुत्र विरधाराम
5. मांगीलाल पुत्र निम्बाराम
6. केली पत्नी निम्बाराम
7. झांवताराम पुत्र फगलूराम
8. किशनाराम पुत्र फगलूराम
9. श्रीराम पुत्र फगलूराम
10. बुधाराम पुत्र फगलूराम
11. मीरा पत्नी फगलूराम
12. रामजीवण पुत्र मानाराम
13. सोहनलाल पुत्र मानाराम
14. खवणी पत्नी मानाराम
15. किशनाराम पुत्र हीराराम
16. पुरखाराम पुत्र हीराराम
17. तेजाराम पुत्र भागीरथराम
18. मानाराम पुत्र भागीरथराम
19. राजूराम पुत्र भागीरथराम
20. शान्ति पत्नी भागीरथराम
21. शंकराराम पुत्र भाखराराम
22. अणदी पत्नी भाखराराम,
23. तुलछाराम पुत्र रिड़मलराम
24. हरिराम पुत्र रिड़मलराम
25. शोभाराम पुत्र रिड़मलराम
26. धनी पत्नी रिड़मलराम

जाति विश्नोई निवासी कावों की बेरी,रोहिला, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

27. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा धोरीमन्ना
28. प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
29. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री हापूराम
प्रतिवादीगण:- एकतरफा


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 71/13.2737 है0, 71/2/4.4515 है0 वाके ग्राम कावों की बेरी, पटवार हल्का लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
सुवटी पत्नी चैनाराम जाति विश्णोई सा.देह खातेदार कावों की बेरी	आंशिक	71	8.7291	बा.दो.	3.22	हरा
अणदी पत्नी भाखराराम आसुराम पुत्र विरधाराम केली पत्नी निम्बाराम किशना पुत्र फगलूराम किशना पुत्र हीरा किशनाराम पुत्र विरधाराम खिवणी पत्नी माना जेकनराम पुत्र विरधाराम झांवता पुत्र फगलूराम तेजा पुत्र भागीरथराम तुलछाराम पुत्र रिडमलराम पुरखा पुत्र हीरा बुधाराम पुत्र फगलूराम मांगीलाल पुत्र निम्बाराम माना पुत्र भागीरथ मीरा पत्नी फगलूराम	1/40 1/20 1/32 1/24 1/16 1/20 1/72 1/20 1/24 1/64 1/16 1/16 1/24 1/32 1/64 1/24	71 71/2 2	4.2776 4.4515 8.7291	बा.दो. बा.दो. बा.दो.	1.58 1.65 3.23	लाल




सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

राजू पुत्र भागीरथ	1/64					
रामजीवण पुत्र माना	1/72					
शंकराराम पुत्र भाखराराम	1/40					
श्रीराम पुत्र फगलूराम	1/24					
शान्ती पत्नी भागीरथराम	1/64					
शोभाराम पुत्र रिडमलराम	1/16					
सोहनलाल पुत्र मानाराम	1/72					
हेमाराम पुत्र विरधाराम	1/20					
हरिराम पुत्र रिडमलराम	1/16					
धनी पत्नी रिडमलराम	1/16					
जाति विश्णोई सा.देह खातेदार						
राजस्थान सरकार रास्ते हेतु		71	0.2670	गै.मु. रा.	-	काला



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना-बाड़मेर